काली फिल्म,हूटर और अवैध बत्ती पर पुलिस का वार: साढे आठ हजार चालकों के कटे चालान

जयपुर,वेब वार्ता। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेशभर में चलाए जा रहे विशेष यातायात एवं कानून पालन अभियान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अभियान के आठवें दिन राजस्थान पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले 8 हजार 448 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति सख्त संदेश दिया है।

डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल के पर्यवेक्षण तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (यातायात) डॉ. बी.एल. मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना तथा आमजन में जिम्मेदार वाहन संचालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

डॉ. मीणा ने बताया कि अभियान के दौरान वाहनों में किए गए अवैध संरचनात्मक बदलाव, अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर एवं स्ट्रोब लाइट, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, वाहनों पर लिखे अनाधिकृत शब्द एवं चिन्ह तथा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म के खिलाफ की गई। प्रदेशभर में 3,264 वाहनों पर ब्लैक फिल्म पाए जाने पर चालान किए गए। वहीं बीआईपी स्टाइल और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वाले 2,079 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

इसके अलावा वाहनों पर पद, जाति, संगठन अथवा अन्य अनधिकृत शब्द लिखकर चलने वाले 1,204 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि बिना अनुमति वाहन की बॉडी अथवा चेसिस में परिवर्तन कराने वाले 861 वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा गया।

राजस्थान पुलिस ने सड़क पर रौब झाड़ने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया। अभियान के दौरान 544 वाहनों पर अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, हूटर अथवा स्ट्रोब लाइट लगी मिली, जिन पर कार्रवाई की गई। वहीं 496 प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न जब्त कर चालान बनाए गए। पुलिस पटाखे जैसी तेज आवाज करने वाली संशोधित बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ भी विशेष कार्रवाई कर रही है।

इस कार्रवाई के मामले में कोटा शहर 572 मामलों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। इसके बाद अजमेर में 416, बाड़मेर में 340, चित्तौड़गढ़ में 311 तथा भरतपुर में 309 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई।

वहीं भीलवाड़ा में 281, झुंझुनूं में 257, जयपुर ग्रामीण में 247 तथा उदयपुर में 215 कार्रवाई कर नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए गए।

जयपुर यातायात पुलिस ने 320 मामलों में कार्रवाई की, जबकि जोधपुर यातायात पुलिस ने 180 और जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 247 मामलों में चालान एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की।

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रखे जाएं। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि आमजन में जागरूकता बढ़ाकर सुरक्षित, अनुशासित और जिम्मेदार यातायात व्यवस्था स्थापित करना है। अभियान के तहत आगे भी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पत्नी ने भाइयों को बुलाकर पति और सास-ससुर को पिटवाया

अलवर/बहरोड, 9 जून (वेबवार्ता)। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के देवखेड़ा निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मारपीट, धमकी और घर से जेवर-नकदी ले जाने का मामला दर्ज कराया है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने अपने भाई और उसके दोस्तों को बुलाकर न सिर्फ उसके साथ मारपीट करवाई, बल्कि उसके रिटायर्ड फौजी पिता और मां को भी बेरहमी से लात घूंसों से पीटा। देवखेड़ा निवासी समीर खान ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी करीब 4 साल पहले सबीना से हुई थी। शादी के बाद से ही घरेलू विवाद होते रहे। समीर का आरोप है कि उसकी पत्नी अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी और उसे तथा उसके परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी। घर में शांति बनाए रखने के लिए वह करीब दो साल पहले अपने माता-पिता से अलग रहने लगा, लेकिन इसके बावजूद विवाद खत्म नहीं हुए। समीर ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अपने पिता दौलत खान का नाम लेकर दबाव बनाती थी।

उसने कहा कि दौलत खान सीआरपीएफ में होने का रौब दिखाकर उसे और उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने तथा जान से मारने की धमकियां दिलवाते थे। परिवाद के अनुसार 31 मई 2026 को घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने अपने पीहर पक्ष के लोगों को बुला लिया। कुछ देर बाद उसके साले और अन्य रिश्तेदार घर पहुंच गए। समीर का आरोप है कि सभी ने उसके साथ मारपीट की और उसके माता-पिता को मौके पर बुलाने के लिए कहा। जब उसके माता-पिता वहां पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। समीर ने आरोप लगाया कि उसके सालों ने उसकी मां को जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटा। वहीं उसके रिटायर्ड फौजी पिता याकत के साथ भी मारपीट की गई और उन्हें धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया गया, जिससे उनकी कमर, हाथ की उंगलियों और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। इसके बाद आरोपियों ने समीर के साथ भी मारपीट की। युवक का यह भी आरोप है।

सात दिन में राजस्थान की संस्कृति, विरासत तकनीक और विकास को करीब से जानेंगे

जयपुर,वेब वार्ता। युवा संगम फेज-6 के तहत कर्नाटक के ट्रिपल आईटी धारवाड़ से 47 डेलीगेट्स और 6 कॉर्डिनेटर्स सोमवार को एमएनआईटी पहुंचे। सभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल 'युवा संगम' के तहत जयपुर आए हैं। प्रतिनिधिमंडल में ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी और अन्य युवा शामिल हैं। 12 जून तक सभी डेलीगेट्स जयपुर में एमएनआईटी टीम के साथ रहेंगे। संस्थान की ओर से प्रतिभागियों को वेलकम किट देकर स्वागत किया गया। एमएनआईटी जयपुर ने राजस्थान के युवाओं का भी एक ग्रुप ट्रिपल आईटी धारवाड़ भेजा है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपसी समझ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है।

पांच थीम पर होगा पूरा प्रोग्राम : अगले सात दिनों में डेलीगेट्स 'पर्यटन', 'परंपरा', 'प्रगति', 'प्रौद्योगिकी' और 'परस्पर संपर्क' जैसे पांच प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करेंगे। इसके जरिए वे राजस्थान की संस्कृति, विकास और विरासत को करीब से जानेंगे। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को आमेर किला, हवा महल और जंतर-मंतर सहित जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों का दौरा करवाया जाएगा। इसके अलावा लोक भवन, जाहोता हेरिटेज विलेज, तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज और किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र भी विजिट करवाए जाएंगे।

गांव, कला, लोक संस्कृति से होंगे रूबरू डेलीगेट्स को जाहोता गांव में जैविक खेती, पारंपरिक जाहोता प्रिंट कला, स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियां और ग्रामीण चौपाल दिखाई जाएगी। साथ ही लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। प्रतिभागी एमएनआईटी के विभिन्न विभागों और लैब का भी दौरा करेंगे। ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप, भारतीय भाषाओं पर अवेयरनेस सेशन और जयपुर फुट विजिट भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा। 11 जून को समापन समारोह और सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी। यात्रा के दौरान सभी प्रतिभागी 'माय युवा संगम स्टोरी : एक्सपीरियंसिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन डाइवर्सिटी' विषय पर अपने अनुभव भी लिखेंगे।

16 हजार गड्ढे खोदे फिर भी नहीं मिले पैसे

अलवर/बहरोड, 9 जून (वेबवार्ता)। सरकार जहां पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही है, वहीं उसी अभियान से जुड़े कार्य में लगे मजदूर अपनी मेहनत की कमाई के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। मामला अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के परबेणी और दानपुर गांवों का है, जहां सारिस्का वन विभाग के अधिकारियों पर मजदूरों की मजदूरी रोकने के आरोप लगे हैं। मध्यप्रदेश से आए करीब 20 मजदूर पिछले दो दिनों से अलवर मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। मजदूर सड़क किनारे अस्थायी रूप से रह रहे हैं और वहीं भोजन बनाकर गुजारा कर रहे हैं। उनके साथ छोटे-छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। मजदूरों का कहना है कि करीब एक महीने पहले उन्हें पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने का काम दिया गया था। 15 रुपये प्रति गड्ढा की दर से भुगतान तय हुआ था। मजदूर करण ने बताया कि सभी मजदूरों ने मिलकर एक महीने में 16,120 गड्ढे तैयार किए, जिसके एवज में 2 लाख 41 हजार 800 रुपये का भुगतान बनता है। हालांकि उन्हें केवल 26 हजार रुपये ही मिले, जबकि करीब 2 लाख 15 हजार रुपये अब भी बकाया हैं। आरोप है कि काम पूरा होने के बाद अधिकारियों ने भुगतान देने से इनकार कर दिया और घर लौट जाने को कहा। महिला मजदूर लाड़ली बाई ने कहा कि वे रोज कमाकर अपना परिवार चलाते हैं।

विकासात्मक विलंब वाले बच्चों के समर्थन को आगे आए उद्योग जगत के प्रतिनिधि

नई दिल्ली, 09 जून (वेब वार्ता)। यूनिसेफ इंडिया ने विकासात्मक विलंब और दिव्यांगता से जूझ रहे छोटे बच्चों के समर्थन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर एकत्र किया। इस पहल के माध्यम से बच्चों के लिए अधिक समावेशी समाज और सहयोगी वातावरण तैयार करने पर बल दिया गया। यूनिसेफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा, परोपकार, नागरिक समाज और दिव्यांगता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों को प्रारंभिक वर्षों में समावेशी प्रभाव की पहल से परिचित कराया गया। इसका उद्देश्य विकासात्मक चुनौतियों की समय रहते पहचान, देखभाल करने वालों को सहयोग तथा घर, विद्यालय और समुदाय में समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना है। यूनिसेफ इंडिया की स्वास्थ्य प्रमुख डॉ. नांदे पुट्टा ने कहा कि प्रारंभिक बाल विकास संबंधी हस्तक्षेप सबसे प्रभावी और किफायती उपायों में शामिल हैं, जो विशेष रूप से कमजोर बच्चों को उनकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में सहायता प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से उद्योग जगत को समावेशी कार्यस्थलों, देखभालकर्ताओं के सहयोग और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डॉ. प्रमोद गड्डम ने कहा कि उद्योग जगत समान अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समय पर पहचान और उचित हस्तक्षेप से बच्चों और उनके परिवारों को बेहतर सहयोग मिल सकेगा तथा देश अधिक समावेशी समाज की दिशा में आगे बढ़ेगा। इस पहल के तहत उद्योग जगत को जागरूकता अभियान, सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के समर्थन और कर्मचारियों तथा देखभालकर्ताओं के अनुकूल कार्यस्थल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि विकासात्मक विलंब और दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक सहयोग का दायरा व्यापक बनाया जा सके।

योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम के साथ मनाया जाएगा योग दिवस

जोधपुर,वेब वार्ता। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के आयोजन की तैयारियों के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा जिलेभर में 50 दिवसीय काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक राजकीय उम्मेद स्टेडियम सहित विभिन्न स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करवाया जा रहा है।

इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मनाया जाएगा। इसके तहत आमजन में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर योग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बड़ी संख्या में नागरिकों द्वारा नियमित रूप से योगाभ्यास में भाग लिया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित 50 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले 39 दिनों से राजकीय उम्मेद स्टेडियम, राजकीय कनीराम सालगराम टांक नर्स/कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पूंजला, राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, आयुर्वेद औषधालय बासनी तंबोलिया, बालसमंद तथा मंडोर सहित विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम, पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर भी नियमित योगाभ्यास करवाया जा रहा है।

राजकीय उम्मेद स्टेडियम में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामलाल तथा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया जा रहा है। मुख्य योग प्रदर्शक प्रियंका विश्नोई, प्रीति खोखर, प्रियदर्शनी कल्ला एवं किरण द्वारा योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। योगाभ्यास सत्र में डॉ. अशोक कुमार मित्तल, डॉ. सुशीला चौधरी, डॉ. जोगेन्द्र राव, डॉ. प्रेमसुख, डॉ. मुकेश प्रजापत, डॉ. तेजक्ष मित्तल, डॉ. मीनाक्षी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मदनलाल राजपुरोहित सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी एवं योग साधकों ने सहभागिता की।

सिटी पैलेस समर कैंप; जयपुर, किशनगढ़ और कांगड़ा शैली के चित्र बना रहे स्टूडेंट्स

जयपुर,वेब वार्ता। सिटी पैलेस जयपुर में चल रहे सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागी पारम्परिक लघु चित्रकला, संगीत, नृत्य, भाषा, लेखन, नरक, स्केचिंग, टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटिंग और आराइश वर्क जैसी कलाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 18 जून तक चलने वाले इस समर कैंप में शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया, रामू रामदेव और हरि नारायण मारोटिया स्टूडेंट्स को मिनिएचर पेंटिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं।

मारोटिया ने बताया कि कैंप के दौरान प्रतिभागियों को मिनिएचर आर्ट की विभिन्न शैलियों के आधार पर चित्र तैयार करना सिखा रहे हैं। यहां उन्हें इस आर्ट की बारीकियों के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान वे ब्रश चलाना, सही रंगों का चयन करना, रंगों का निर्माण करना जैसी टेक्निक्स सीख रहे हैं। शिविर में अधिकांश चित्र राधा-कृष्ण और राग-रागनियों पर आधारित है, जो कि हाथ से बने कागज की वसली शीट पर तैयार किए जा रहे हैं। इनमें जयपुर, किशनगढ़, कांगड़ा शैली की झलक देखने को मिल रही है। एक माह के इस कैंप में चरणबद्ध प्रक्रिया से प्रत्येक प्रतिभागी अपनी एक-एक पेंटिंग तैयार करेंगे।

जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस 11 जून को बदले हुए मार्ग से चलेगी

जोधपुर,वेब वार्ता। लक्ष्मीबाई नगर यार्ड में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के कारण 11 जून को जोधपुर-इंदौर-जोधपुर एक्सप्रेस के रूट में अस्थाई बदलाव किया गया है। इस दौरान ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक ट्रिप बदले हुए मार्ग से चलेगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि यार्ड के दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्य के चलते ट्रेन संख्या 14801 जोधपुर-इंदौर एक्सप्रेस 11 जून को अपने निर्धारित मार्ग रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-लक्ष्मीबाई नगर-इंदौर की बजाय रतलाम-फतेहाबाद चंद्रावतीगंज-उज्जैन-देवास-लक्ष्मीबाई नगर-इंदौर मार्ग से संचालित होगी।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ... the name you can BANK upon!

ARMB: West Delhi, Second Floor, Vikrant Tower, Rajendra Place, New Delhi – 110008
e-mail: cs8334@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए विक्रय सूचना दिनांक: 02.06.2026

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पढ़ी जाए।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई है और जिसका प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, बैंक/सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए संबंधित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जैसी है, जहां है", "जैसी है, और जो कुछ भी उपलब्ध है" के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

शाखा का नामः ARMB: पश्चिम दिल्ली खाते का नामः मेसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड ऋण लेने वाले/गारंटर का नाम एवं पताः	अचल संपत्ति का विवरण और पूर्ण वर्णन	(क) सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि (ख) 31.01.2025 तक बकाया राशि (ग) सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तिथि (घ) कब्जे का स्वरूप (प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक)	(क) आरक्षित मूल्य (ख) ईएमडी (ग) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भारों का विवरण
मेसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधियों सुहैल सिंह, नम्रता भाटिया, परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से) 2747/6 दूसरी मंजिल, चूना मंडी पहाड़गंज, मध्य दिल्ली, दिल्ली–110055 ई–मेल– belldapl@gmail.com मो.:9818878200, 9521122403 यहां भीः एफ–27(ए), RIICO औद्योगिक क्षेत्र, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान–301019, मोबाइलः 9818878200 यहां भीः G1–127, RIICO औद्योगिक क्षेत्र, खुसखेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान– 301019, मोबाइलः 9818878200 श्री सुहैल सिंह (बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक/गारंटर) मकान संख्या 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034, मोबाइलः 9818878200 श्रीमती नम्रता भाटिया (बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक/गारंटीधारक) मकान संख्या 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034, मोबाइलः 9521122403 श्रीमत नीरा मेटल कंपनी श्रीमती नम्रता भाटिया के माध्यम से (मेसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड की गारंटर/ गिरवीदार) मकान संख्या 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली–110034, मोबाइलः 9521122403 अन्य पता– जी1–127, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र, खुश्खेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान– 301019, मोबाइलः 9818878200 श्रीमती भाटिया ट्रेडिंग कंपनी इसके मालिक श्री परविंदर सिंह भाटिया के माध्यम से (मेसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के गारंटर/गिरवीदार) मकान संख्या 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034, मोबाइलः 9521122403 अन्य पता– एफ–27(ए), आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र, खुश्खेड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान– 301019, मोबाइलः 9810145996 श्री परविंदर सिंह भाटिया (मेसर्स बेल डायमंड एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक/गारंटर) मकान संख्या 99, संदेश विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली– 110034, मोबाइलः 9810145996	1. सार्वजनिक क्षेत्र (पी एंड टी) कर्मचारी केंद्रीय सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित निर्मित मुक्तधारित संपत्ति संख्या 99 का संपूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकारों के बिना, जिसका क्षेत्रफल 155.94 वर्ग मीटर (186.53 वर्ग गज) है, संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034 में स्थित है। इसमें साझा मार्ग और सीढ़ी के साथ–साथ नीचे की भूमि में 33% अविभाजित हिस्सा भी शामिल है, जो श्री परविंदर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह के नाम पर विभाजन विलेख संख्या 11588 दिनांक 01.08.2019 के अनुसार है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में संपत्ति संख्या 100, पश्चिम में संपत्ति संख्या 98, उत्तर में 30 फीट चौड़ी सड़क और दक्षिण में सर्विस लेन।	(क) 01.02.2025 (ख) ₹21,06,47,133.49/– (ग) 30.05.2025 (घ) प्रतीकात्मक	(क) 3.26 करोड़ (ख) रुपये 32,60,000/– (ग) रुपये. 2.00 लाख	29.06.2026 को सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक	ज्ञात नहीं
	2. राजस्थान के अलवर स्थित खुशखेड़ा के आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय–डी में स्थित औद्योगिक भूखंड संख्या जी1–127, जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, मेसर्स नीरा मेटल कंपनी (मालिक श्रीमती नम्रता भाटिया) के नाम पर विक्रय विलेखा संख्या 202103111105213 दिनांक 25.10.2021 के अंतर्गत है। संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में जी1–126बी, पश्चिम में जी1–127ए, उत्तर में 24 मीटर चौड़ी सड़क और दक्षिण में जी1–140 और 141।	(क) 01.02.2025 (ख) Rs 21,06,47,133.49/– (ग) 30.05.2025 (घ) प्रतीकात्मक	(क) 3.06 Crore (ख) Rs. 30,60,000/– (ग) Rs. 2.00 lakh		ज्ञात नहीं

ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें

1. यह बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी। नीलामी बिक्री ऑनलाइन ई–नीलामी पोर्टल https://Baanknet.com के माध्यम से होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (https://Baanknet.com) पर पंजीकरण करें। ई–केवाईसी की प्रक्रिया डिजिलॉकर के माध्यम से पूरी की जानी है। ई–केवाईसी पूरा होने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार ई–नीलामी की तिथि और समय से पहले पोर्टल पर ऑनलाइन/चालान माध्यम से अपने ई–वॉलेट में ईएमडी राशि स्थानांतरित कर सकते हैं। पंजीकरण, ई–केवाईसी का सत्यापन, वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण और वॉलेट राशि को संपत्ति से जोड़ना नीलामी से काफी पहले पूरा किया जाना चाहिए।
3. उपर्युक्त उल्लिखित बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान ऑनलाइन/चालान माध्यम से किया जाएगा और यह बोलीदाताओं के ई–वॉलेट में जमा की जाएगी। जो बोलीदाता आवश्यक अग्रिम राशि ऑनलाइन जमा नहीं करेंगे, उन्हें ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा की गई अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https://Baanknet.com) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट 1, तीसरी मंजिल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला ट्रक टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट, मुंबई–400037 में स्थित है (सहायता डेस्क नंबरः 91 8291220220, ईमेल आईडीः support.ebkray@psballiance.com)। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://Baanknet.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी का ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
5. बिक्री की सामान्य नियम और शर्तों वाली बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है।
   1. https://Baanknet.com
   2. www.pnb.bank.in
6. ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी ई–नीलामी पोर्टल (https://Baanknet.com) से बिक्री सूचना, ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें और ई–नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका की प्रतियां निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
7. बोली लगाते समय बोलीदाता के ई–वॉलेट में पर्याप्त शेष राशि (ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक) होनी चाहिए।
8. ई–नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को पिछली बोली से अधिक बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोलीदाताओं को अगली बोली लगाने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा और यदि पिछली उच्चतम बोली के 10 मिनट बाद भी कोई बोलीदाता उच्च बोली नहीं लगाता है, तो ई–नीलामी बंद कर दी जाएगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे विक्रय सूचना, ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें, ई–नीलामी के संचालन संबंधी सहायता पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें।
10. ई–नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता होने पर, बोलीदाता हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। इसका विवरण बांकनेट पोर्टल पर उपलब्ध है।
11. अधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को ही हमारे उपर्युक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर या सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत पते पर)।
12. गिरवी रखी गई संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
13. सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) (ईएमडी राशि घटाकर) उसी दिन या अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा, और शेष राशि नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकर चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में "अधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, खाता (खाते का नाम)" के नाम पर देय के रूप में जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी और अधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री आयोजित करने का अधिकार होगा। बोलीदाता का जब्त की गई राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
14. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को विक्रय राशि का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा और टीडीएस का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा केवल जमा राशि के समय ही किया जाना है। बोली राशि का शेष 75%/बोली राशि की पूरी जमा राशि।
15. अधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि वे स्वीकार्य न पाई जाएं, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या उसकी शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है, और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा।
16. The sale certificate shall be issued in the favour of successful bidder on deposit of full bid amount as per the provisions of the act.
17. संपत्तियां "जैसी है, जहां है" और "जैसी है, जो भी है" के आधार पर बेची जा रही हैं।
18. ऊपर दी गई अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दिया गया है, लेकिन इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
19. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और उसके विवरण का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता संबंधित अधिकारी से परामर्श करके दी गई जानकारी के अनुसार संपत्ति का निरीक्षण करते हैं।
20. सभी वैधानिक देय राशियाँ/सहायक शुल्क/अन्य देय राशियाँ, जिनमें पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि शामिल हैं, क्रेता द्वारा वहन की जाएंगी।
21. अधिकृत अधिकारी या बैंक, सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी ऐसे प्रभार, ग्रहणाधिकार, भार या अन्य देय राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसकी जानकारी बैंक को नहीं है। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर लगे भारों, जिनमें वैधानिक देनदारियाँ, संपत्ति कर का बकाया, बिजली बिल आदि शामिल हैं, के संबंध में स्वयं स्वतंत्र रूप से जाँच करें।
22. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली बैकअप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण होने वाली किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
23. बैंक एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और स्वयं बोली लगाकर नीलामी में भाग ले सकता है।
24. अधिकृत अधिकारी संपत्ति के वास्तविक क्षेत्रफल और पंजीकृत स्वामित्व दस्तावेजों में उल्लिखित क्षेत्रफल में किसी भी भिन्नता या विसंगति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नीलामी में भाग लेने से पहले संपत्ति के वास्तविक आयामों और क्षेत्रफल की जाँच करना और स्वयं संतुष्ट होना इच्छुक बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://Baanknet.com या www.pnb.bank.in देखें।

दिनांकः 02.06.2026
स्थानः दिल्ली.

अधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक
सुरक्षित लेनदार

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नीदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा–सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व कार्यालय दुकान नं. 1 वार्ड नं. 1, इण्डियन मेडिकल हॉल के पास, हमीन्दपुर रोड़, बहरोड़, जिला–अलवर (राजस्थान) से प्रकाशित। संपादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक–युवराज सिंह। मो. नम्बर: 9829410051 ई–मेल–yuvrajsinghh@gmail.com